IV राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार विश्लेषण

विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के राज्यवार विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि 2005-08 की आरंभिक अवधि की तुलना में 2008-09 (संअ) तथा 2009-10 (बअ) में अधिकतर राज्य राजस्व शेष में क्षरण और सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के स्तर में वृद्धि से जूझ रहे थे। राज्य बजट दस्तावेज के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राजकोषीय पारदर्शिता की अपर्याप्तता सभी राज्यों में थी। राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे राजस्व में वृद्धि और व्ययों को सीमित करने के उपाय करके शीघ्र ही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

1. परिचय

4.1 इस अध्याय में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 के संशोधित अनुमानों पर मुख्य रूप से फोकस करते हुए राजकोषीय स्थिति का राज्यवार मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। 2009-10 के लिए बजट अनुमानों से उभरनेवाली तसवीर के संदर्भ में राज्यवार मूल्यांकन भी किया गया है। यह विश्लेषण 3 प्रमुख श्रेणियों पर केंद्रित है, जिन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) घाटे के संकेतक; (ii) राजस्व वृद्धि; और (iii) व्यय प्रबंधन। अधिकांश राजकोषीय संकेतकों को सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी)[6] के रूप में वर्तमान मूल्यों पर व्यक्त किया गया है जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। 2007-08 के लिए 3 राज्यों, 2008-09 के लिए 8 राज्यों और 2009-10 के लिए 10 राज्यों से राज्यवार जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। इन राज्यों के लिए जीएसडीपी की गणना पिछले 3 वर्षों की संबंधित औसत जीएसडीपी वृद्धि दरों के आधार पर की गई है। राज्यों को गैर विशेष और विशेष श्रेणी में बांटा गया है। दो संघ राज्यों, जहां विधान सभाएं अवस्थित हैं, अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और पुदुचेरी को भी सारणियों में ज्ञापन मद के रूप में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के संबंध में विस्तृत राज्यवार आंकड़े विवरण 1 से 57 तक में दर्शाए गए हैं।

4.2 जहां तक राजकोषीय निष्पादन का संबंध है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने राजकोषीय और राजस्व घाटों को हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से कम करने में सफल रही हैं। जहां तक राजकोषीय सुधार समेकन प्रक्रिया का संबंध है, राज्यों के वित्त में महत्वपूर्ण रूप से सुधार प्रदर्शित हुआ है और वे केंद्र सरकार से कहीं आगे हैं। तथापि राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को 2008-09 तथा 2009-10 में आई आर्थिक मंदी के कारण कुछ धक्का लगा। राज्य वित्त पर आर्थिक मंदी का प्रभाव सभी राज्यों में अलग-अलग था। 2009-10 के राज्यवार बजटों के विश्लेषण के अनुसार, कुछ राज्यों ने प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के अपने लक्ष्यों से आगे जाने का प्रस्ताव किया, जबकि अन्य राज्यों से उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) लक्ष्यों तक ही सीमित रहना प्रत्याशित है। इस पृष्ठभूमि में यह अध्याय राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर पड़े आर्थिक मंदी के प्रभाव का राज्यवार विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्याय बारहवें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के रूप में राज्यों की अंतर-कालिक तुलना करता है।

2. राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

4.3 यह अध्याय 2005-08 (औसत) से 2008-09 (संअ) की अवधि के दौरान प्रमुख घाटा संकेतकों यथा, राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) के राज्यवार संचलन का विश्लेषण करता है। इस अवधि के दौरान राज्यवार प्रगति को सारणी IV.1 (विवरण 1 से 5 भी देखें) में प्रस्तुत किया गया है।

[6] अध्ययन में प्रयोग किए गए वर्तमान मूल्यों पर आधारित सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के आंकड़े मुख्यतया केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से प्राप्त किए गए हैं। जहां-कहीं सीएसओ के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहां संबंधित राज्य सरकारों के अनुमानों, जो उनके बजट दस्तावेज में मौजूद हैं तथा जिन्हें उनके द्वारा भा.रि.बैंक को अग्रेषित किया गया है, को उपयोग में लाया गया है। जहां-कहीं भी संबंधित राज्य सरकारों से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए, वहां 3 वर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाया गया है।

सारणी IV.1 : राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)				2008-09 (संअ)			
	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	-0.4	2.8	0.1	-3.1	-0.6	2.8	0.6	-2.8
2. बिहार	-2.2	3.1	-0.7	-6.0	-3.0	6.5	3.2	-6.3
3. छत्तीसगढ़	-3.9	0.3	-1.5	-5.7	-1.3	2.8	1.4	-2.7
4. गोवा	-0.6	3.6	0.8	-3.4	-0.4	4.5	1.8	-3.2
5. गुजरात	-0.4	2.2	-0.4	-3.1	-0.1	2.9	0.7	-2.3
6. हरियाणा	-1.3	0.1	-1.7	-3.0	–	2.0	0.7	-1.3
7. झारखंड	2.2	8.8	7.0	0.4	-0.8	4.9	2.1	-3.6
8. कर्नाटक	-1.6	2.2	0.2	-3.7	-0.3	3.5	1.7	-2.1
9. केरल	2.2	3.3	0.4	-0.7	2.0	3.5	0.8	-0.6
10. मध्य प्रदेश	-2.1	2.7	-0.3	-5.0	-2.0	3.5	0.6	-4.9
11. महाराष्ट्र	-0.6	1.9	-0.2	-2.8	-0.6	2.3	0.6	-2.4
12. उड़ीसा	-2.3	-0.6	-4.3	-6.0	-0.6	2.1	-1.4	-4.2
13. पंजाब	1.8	3.1	-0.2	-1.6	2.5	4.5	1.3	-0.7
14. राजस्थान	-0.3	2.9	-0.9	-4.1	0.1	3.4	0.2	-3.1
15. तमिलनाडु	-1.1	1.2	-0.8	-3.1	–	2.7	0.9	-1.7
16. उत्तर प्रदेश	-0.7	3.6	0.3	-4.0	-1.1	5.3	2.4	-4.0
17. पश्चिम बंगाल	3.0	4.1	–	-1.0	3.7	3.7	0.1	0.1
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	-15.6	1.7	-3.3	-20.6	-18.6	24.5	19.0	-24.1
2. असम	-3.2	-1.0	-3.3	-5.6	-2.4	2.8	0.3	-4.9
3. हिमाचल प्रदेश	-1.2	2.6	-3.2	-7.0	-0.9	5.0	-0.1	-6.0
4. जम्मू और कश्मीर	-6.8	6.4	1.3	-11.9	-9.7	6.7	2.1	-14.3
5. मणिपुर	-12.6	4.2	-1.0	-17.7	-18.4	7.7	2.6	-23.5
6. मेघालय	-2.3	2.2	-0.6	-5.1	-6.2	1.5	-1.3	-9.0
7. मिजोरम	-4.9	10.9	4.0	-11.8	-6.5	10.1	3.9	-12.8
8. नगालैंड	-6.1	4.5	0.3	-10.3	-4.5	8.9	4.8	-8.6
9. सिक्किम	-12.2	5.2	-0.2	-17.6	-22.1	12.9	7.6	-27.4
10. त्रिपुरा	-7.7	–	-3.7	-11.4	-6.0	6.1	2.9	-9.2
11. उत्तराखंड	-1.5	5.0	1.9	-4.6	-1.5	3.9	0.7	-4.7
सभी राज्य#	**-0.4**	**1.9**	**-0.2**	**-2.6**	**-0.2**	**2.6**	**0.7**	**-2.1**
ज्ञापन मद:								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-3.7	0.5	-1.2	-5.4	-2.2	2.5	1.0	-3.7
2. पुदुचेरी	0.4	4.7	2.0	-2.3	7.6	11.8	9.0	4.8

औ: औसत। संअ: संशोधित अनुमान
आरडी: राजस्व घाटा जीएफडी: सकल राजकोषीय घाटा।
पीडी: प्राथमिक घाटा पीआरबी .: प्राथमिक राजस्व शेष।
जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद।
: सभी राज्यों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
नोट: ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष को दर्शाता है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.4 नियम आधारित राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया अपनाए जाने से राजकोषीय धारणीयता प्राप्त करने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को गति प्राप्त हुई है। सभी राज्य सरकारों (सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) द्वारा एफआरएल का अधिनियमन किए जाने से राज्यों में सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत संरचनाओं और मानव विकास में सुधार के लिए राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के मार्ग में आनेवाली बाधाएं हटाने तथा संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, राजकोषीय

स्थिरता, लोक वित्त के प्रबंधन में धारणीयता, कुशलता में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के एफआरएल के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि पूंजी व्यय के हिस्से को बढ़ाकर कुल व्यय की संरचना में बदलाव को प्रभावित किया जाए, जिससे उच्च वृद्धि पथ की प्राप्ति करना संभव हो सके। राजकोषीय समेकन और एफआरएल लक्ष्यों के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक पाई गई। विभिन्न राजकोषीय मानदंडों के लिए लक्ष्य विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, राज्यों के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजनाएं देकर बजटीय परिचालनों में पारदर्शिता को बढ़ाना भी एफआरएल में परिकल्पित है। तथापि, राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में अभी भी कई मुद्दे हैं (बॉक्स IV.1)।

4.5 राज्य स्तर पर लोक वित्त का पुनर्गठन करने का सुझाव देते हुए बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों द्वारा 2008-09 तक राजस्व संतुलन की प्राप्ति की जाए तथा 2009-10 तक सकल राजकोषीय घाटा को घटाकर जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाया जाए। अधिकतर राज्य 2007-08 तक राजकोषीय सुधार के पथ पर अग्रसर थे। 2008-09 के दौरान, प्रमुख घाटा संकेतकों के संदर्भ में राज्यवार निष्पादन की स्थिति कुछ हद तक खराब हो गई थी क्योंकि हाल में बीती अवधि की तुलना में उनके राजस्व अधिशेष में कमी आई थी। तथापि, अधिकतर राज्यों में राजस्व घाटा (आरडी)-जीएसडीपी अनुपात शून्य राजस्व शेष के लक्ष्य के अंतर्गत ही रहा। गैर विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 13 राज्यों ने 2008-09 (संअ) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया, भले ही 2005-08 (औसत)की तुलना में उनका स्तर न्यूनतर था।

4.6 2008-09 (संअ) के दौरान चार राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और राजस्थान ने राजस्व घाटा दर्ज किया। 2008-09 के दौरान राजस्व घाटा वाले राज्यों में राजस्थान का प्रवेश नया था, जबकि झारखंड राजस्व घाटे से निकल कर राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन गया। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब इस अवधि के दौरान राजस्व घाटे में ही रहे। तथापि, केरल और पंजाब भले ही घाटे में बने रहे लेकिन इसके बावजूद इनके राजस्व घाटे में कमी आई।

4.7 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी की तुलना में राजस्व अधिशेष के स्तर में छत्तीसगढ़ (2.6 प्रतिशत), उड़ीसा (1.7 प्रतिशत), कर्नाटक (1.4 प्रतिशत) और हरियाणा (1.2 प्रतिशत) के मामलों में तीव्र कमी आई। मंदी रहने के बावजूद, 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में उनके आरडी-जीएसडीपी अनुपात में दर्शनीय सुधार प्रदर्शित हुआ (सारणी IV.1 और विवरण 2)।

4.8 2008-09 के दौरान, सर्वोच्च राजस्व अधिशेष बिहार का था जो जीएसडीपी का 3.0 प्रतिशत था तथा इसके बाद क्रमानुसार मध्य प्रदेश (जीएसडीपी का 2.0 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (जीएसडीपी का 1.3 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 1.1 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.1)। इन राज्यों में उच्चस्तरीय राजस्व अधिशेष उनकी बकाया देयताओं को बढ़ाए बगैर उनकी निवेश परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। दूसरी ओर, 2008-09 (संअ) के दौरान पश्चिम बंगाल ने सर्वोच्च राजस्व घाटा दर्ज किया जो जीएसडीपी का 3.7 प्रतिशत था, जिसके बाद पंजाब (जीएसडीपी का 2.5 प्रतिशत) और केरल (जीएसडीपी का 2.0 प्रतिशत) आते हैं। इन राज्यों में जीएफडी के सबसे बड़े हिस्से के रूप में आरडी है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में (99.9 प्रतिशत), जिसके बाद केरल (59.1 प्रतिशत) और पंजाब (55.6 प्रतिशत) आते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि उधार राशियों का उपयोग आस्ति पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकारों के लिए आय सुनिश्चित की जा सके। तथापि राजस्व लेखे में स्थायी घाटे के कारण इन राज्यों को पूंजी लेखे से निधियां निकालकर राजस्व घाटे को पूरा करने पर मजबूर होना पड़ा। तथापि हाल ही के वर्षों में राज्यों द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार राशियों के स्तर में कमी किए जाने के कारण विकासात्मक कार्यों के लिए व्यय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्राप्त हुई है। तथापि, 2008-09 और 2009-10 के दौरान छठे केंद्रीय / राज्य वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण कुछ राज्य सरकारों पर दबाव पड़ेंगे क्योंकि राजस्व घाटा राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों का पूर्वक्रय कर लेगा (सारणी IV.1 और विवरण 4 और 5)।

4.9 2009-10 के दौरान, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल संशोधित वेतन और पेंशन, सरकारी खर्चों के लिए बढ़ी मांग और राजस्व प्राप्तियों के प्रवाह में कमी, जो आर्थिक मंदी की वजह से है, के परिणामस्वरूप राजस्व शेष के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे।

बॉक्स IV.1: राज्य बजटों में राजकोषीय पारदर्शिता

बढ़ी हुई राजकोषीय पारदर्शिता ठोस आर्थिक प्रबंधन और प्रभावी नीति-निर्माण को जन्म देती है, बजटीय नीतियों की जवाबदेही में सुदृढ़ता लाती है तथा विश्वसनीयता में वृद्धि करती है। वित्तीय बाजारों में हाल में आए उथल-पुथल के कारण बढ़ी हुई पारदर्शिता और सूचना के प्रकटन का महत्व उभर कर सामने आया है। इस संबंध में राज्यों द्वारा अपने जीएफडी के वित्तीयन हेतु बाजार उधारियों पर उनकी बढ़ती हुई निर्भरता को देखते हुए राज्य सरकार स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को अपने निवेश सबंधी उचित निर्णय के लिए अधिक सूचना की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बढ़ी हुई पारदर्शिता और प्रकटन के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विश्वसनीय साख निर्धारण प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। यद्यपि हाल के वर्षों में राज्य बजटों में राजकोषीय पारदर्शिता का स्तर, विशेष रूप से एफआरएल अवधि के पश्चात, बढ़ा है, तथापि पारदर्शिता मुद्दों में से कई मुद्दे अभी तक अनसुलझे हैं। राजकोषीय पारदर्शिता के मुद्दों को मोटे तौर पर तीन बड़े वर्गों में, अर्थात सूचना उपलब्धता की कमी, उपलब्ध सूचना में असंगति तथा राज्यों में डेटा रिपोर्टिंग में एकरूपता की कमी के रूप में, वर्गीकृत किया जा सकता है। कई परिवर्तियों के संदर्भ में एक संगत मुद्दा यह भी है कि राज्य सरकारों, संघ सरकार, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)द्वारा सामान्य राजकोषीय परिवर्तियों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच कोई सामंजस्य नहीं दिखता।

राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़ों में सूचना की कमी

राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज में जीएफडी वित्तीयन संबंधी सूचना के विस्तृत ब्योरे उपलब्ध नहीं होते। यह सूचना इसके लिए नितांत आवश्यक है कि कैसे राज्य सरकारें अपने संसाधन अंतरालों का वित्तपोषण करती हैं। कुछ राज्य सरकारें जैसे, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर अपने बजट में 'आंतरिक ऋण उन्मोचन' संबंधी सूचना ब्यौरेवार नहीं देतीं। इसके कारण राज्य सरकारों की मदवार विशुद्ध उधारियों संबंधी सूचना के समेकन और उन राज्यों की जीएफडी वित्तपोषण संबंधी प्रवृत्ति की सही तस्वीर प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। कई राज्य अपने बजट दस्तावेजों में बकाया देयताओं के संबंध में आंकड़े नहीं प्रकाशित करते। कुछ राज्य सरकारें अपने बजट दस्तावेज में इन आंकड़ों का प्रकाशन करती हैं परंतु उस ब्यौरेवार फॉर्मेट में नहीं करतीं जो 'राज्य सरकार की देयताओं के लिए कार्यविधि और समेकन' पर गठित कार्यकारी दल द्वारा निर्धारित किया गया है। अधिकतर राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज में निम्नांकित के संबंध में सूचना की कमी पाई गई है: (i) पारिश्रमिक और वेतन; (ii) परिचालन और अनुरक्षण; (iii) आर्थिक सहायता; और(iv) ब्याज दरें और बेचे गए ऋणों का परिपक्वता प्रोफाइल। विभिन्न राज्यों के बजट दस्तावेज में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की प्रस्तुति में अत्यधिक अंतर पाया गया है। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, केरल, मणिपुर (लेखा वर्ष के लिए) और तमिलनाडु अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों (एएफएस) में समस्त अनुदान का कूटवार तथा योजना/गैर-योजनावार सारांश नहीं देते; जबकि आंध्र-प्रदेश, अरु णाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य-प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के बजट दस्तावेजों में उक्त विवरण उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारें एकल बजट दस्तावेज में समस्त मांग और ब्याज भुगतानों (कूट 2049) में से आंतरिक ऋण (कूट 6003) का ब्यौरेवार कूटवार सारांश नहीं देतीं और अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रथा को अपना रही हैं। जहां अरुणाचल प्रदेश के बजट दस्तावेज में ब्याज भुगतानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश (लेखा वर्षों को छोड़कर) के मामलों में एनएसएसएफ पर ब्याज भुगतानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बजटेतर उधारियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे बजट दस्तावेज में प्रकट नहीं किए जाते। राज्य सरकारों द्वारा सूचना के प्रकटन की वर्तमान स्थिति सारणी 1 में दी गई है।

वर्तमान स्थिति - राज्य सरकारों द्वारा सूचना का प्रकटन#

क्र.सं. राज्य	वेब पर उपलब्ध जानकारी	बजट एक नजर में	बकाया देयताएं	बकाया गारंटियां
गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	√	√	√^	√$
2. बिहार	√	√	–	√$
3. छत्तीसगढ़	√	√	√	√
4. गोवा	√	√	√^	–
5. गुजरात	√	√	–	–
6. हरियाणा	√	√	√	√
7. झारखंड	√	X	–	–
8. कर्नाटक	√	√	√^	√$
9. केरल	√	√	√^	√$
10. मध्य प्रदेश	√	√	√	√
11. महाराष्ट्र	√	√	√	√
12. उड़ीसा	√	√	–	–
13. पंजाब	√	√	√^	√$
14. राजस्थान	√	√	√	√
15. तमिलनाडु	√	√	√	√
16. उत्तर प्रदेश	√	√	√^	√$
17. पश्चिम बंगाल	√	√	–	–
विशेष श्रेणी वाले राज्य				
1. अरुणाचल प्रदेश	X	√	–	–
2. असम	X	√	–	√
3. हिमाचल प्रदेश	√	X	√^	√$
4. जम्मू और कश्मीर	√	√	–	–
5. मणिपुर	√	√	–	–
6. मेघालय	√	√	√	–
7. मिजोरम	√	√	√	√
8. नागालैंड	√	√	√	√
9. सिक्किम	√	√	–	–
10. त्रिपुरा	√	√	√	√
11. उत्तराखंड	√	√	–	√$

: 11 फरवरी 2010 को '–': अनुपलब्ध

√^: राज्य सरकार की देयताओं संबंधी कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में नहीं है।

√$: राज्य सरकार की गारटियों की राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए गठित कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में नहीं है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

उपलब्ध सूचनाओं में असंगति

कई राज्यों के बजटों में नकदी शेष के परिवर्तन तीनों लेखों यथा समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर (समग्र अधिशेष/घाटा) से मेल नहीं खाता। वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस), 'बजट एक नजर में' और प्राप्तियों तथा व्यय दस्तावेज़ के ब्यौरे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भारी विसंगतियां पाई गई हैं, जो आंकड़ों के समाधान और उनकी एकरूपता में रुकावट पैदा करती है।

डेटा रिपोर्टिंग में एकरूपता की कमी

केवल वार्षिक वित्तीय विवरण को छोड़कर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ की प्रकृति और विषयवस्तु में कोई एकरूपता दिखाई नहीं देती। विभिन्न राज्यों के बीच

जारी...

समाप्त

राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित 'बजट एक नजर में' के फार्मेट में एकरूपता नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर एक प्रमुख मुद्दा है लेखांकन प्रथाओं में एकरूपता का न होना। एक उदाहरण बजट में पावर बांडों के लेखांकन का दिया जा सकता है, जहां राज्यों द्वारा अलग-अलग प्रथाएं अपनायी गयी हैं। कुछ राज्य, जैसे - हिमाचल प्रदेश, पावर बांडों को अन्य संस्थाओं (कूट 6003(109)) से ऋण के अंतर्गत दर्शाते हैं जबकि उत्तराखंड जैसे राज्य पावर बांडों को बाजार ऋण (कूट 6003(101)) के अंतर्गत दर्शाते हैं और कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा पावर बांडों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड(कूट 6003(106)) के अंतर्गत दर्शाते हैं। दूसरा उदाहरण एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों के लेखांकन का है। 1999-2000 में लेखांकन प्रथा में परिवर्तन के बाद, एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों को आंतरिक ऋण के अंतर्गत दिखाया जाना था। परंतु असम, गोवा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल अभी भी अल्प बचत वसूलियों की चुकौती/भुगतान के एक हिस्से को केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम (कूट 6004-102) के अंतर्गत दर्शाते आ रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश एनएसएसएफ के संपूर्ण लेनदेनों को लोक लेखा (कूट 8007) के अंतर्गत दिखा रहा है। बजट में ऋण राहत का लेखांकन अस्पष्ट है। आंध्र प्रदेश में, ऋण राहत को विविध पूंजीगत प्राप्तियों (कूट 4000-01-800-06) के अंतर्गत दिखाया जाता है। भूमि और संपत्ति की बिक्री संबंधी लेखांकन प्रक्रिया में भी एकरूपता नहीं है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश के बजट में भूमि और संपत्ति की बिक्री को विविध सामान्य सेवा (कूट-0075-105-01) में दर्शाया गया है, वहीं कर्नाटक राज्य में इसे विविध पूंजीगत प्राप्तियों (4000-01-800-01) के अंतर्गत दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य वैट की वसूलियों से संबंधित आंकड़ों को दो भिन्न-भिन्न कूटों क्रमश: 0040-800 (अन्य प्राप्तियां) और 0040-102 के अंतर्गत रिपोर्ट करते हैं, वहीं अन्य राज्य इन आंकड़ों की रिपोर्टिंग कूट 0040-110 (व्यापार कर) के अंतर्गत करते हैं।

विभिन्न संगठनों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में भिन्नता

केंद्रीय कर और सहायता अनुदान में भागीदारी संबंधी आंकड़े राज्य बजटों और केंद्रीय बजट में भिन्न-भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों संबंधी आंकड़े, जिन्हें राज्य बजटों में दर्शाया गया है, केंद्रीय बजट में दर्शाए गए आंकड़ों और वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाते। केंद्रीय वित्त लेखों, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों संबंधी आंकड़ों और केंद्रीय बजट में दिए गए इन्हीं आंकड़ों के बीच भिन्नता है। राज्य सरकारों की बाजार उधारियों का जहाँ तक संबंध है,राज्य के बजटों में दर्शाए गए आंकड़ों और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों में कोई मेल नहीं है।

ये सभी मुद्दे राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति के समेकन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर पारदर्शिता संबंधी इन मुद्दों में से कुछ पर मार्च 2009 में जारी वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (अध्यक्ष: डॉ.राकेश मोहन) की रिपोर्ट में भी चर्चा की गई थी।

संदर्भ:

1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (2009),'वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट,' मार्च 2009।

चार्ट IV.1: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)

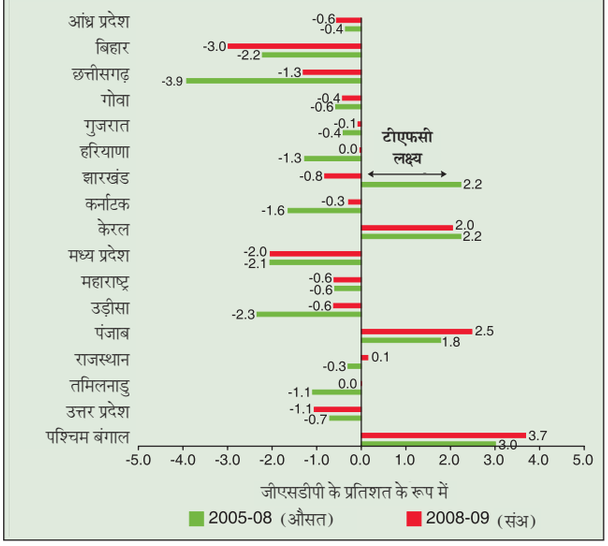

4.10 केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश करने के लिए 2008-09 में राज्य सरकारों को उनके सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी)के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधारियों की अनुमति प्रदान की, जिसके कारण जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3.5 प्रतिशत के स्तर तक ले जाने की अनुमति दी गई। 2005-08 (औसत) में दस राज्यों की तुलना में 2008-09(संअ) में केवल सात राज्य अर्थात हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात ही ऐसे थे जिन्होंने, जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को घटाकर 3.0 प्रतिशत करने संबंधी बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को पूरा किया। 2008-09 (संअ) में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दस राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात बढ़कर 3.0 प्रतिशत से अधिक हो गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09(संअ) में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। तथापि इसी अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश की स्थिति जीएसडीपी के 2.8 प्रतिशत पर पूर्ववत रही। इसी अवधि के दौरान जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि प्रदर्शित करनेवाले राज्यों में से बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च वृद्धि दर्ज़ की। बिहार ने 2008-09(संअ) के दौरान सर्वोच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त किया, जो जीएसडीपी का 6.5 प्रतिशत था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 5.3 प्रतिशत) और झारखंड (जीएसडीपी का 4.9 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.2)(सारणी IV.1)।

चार्ट IV.2: - गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

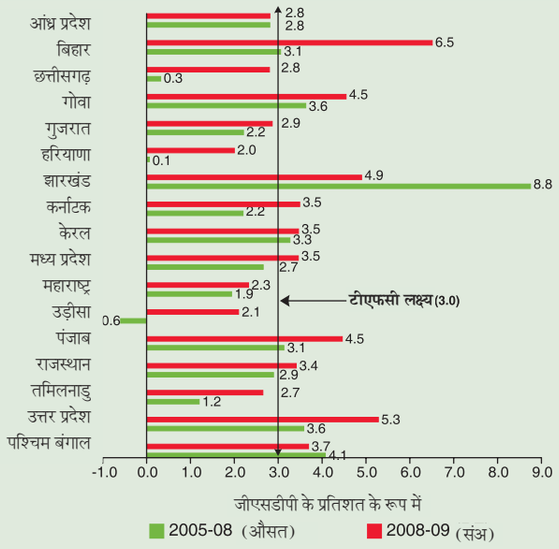

4.11 पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियों के कम होते जाने के साथ ही सरकारी निवेश और योजनागत व्यय, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय, को बढ़ावा देकर वृद्धि की गति को वापस पटरी पर लाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने 2009-10 में राज्यों को जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 4.0 प्रतिशत स्तर तक ले जाने की अनुमति दी है। 2009-10(बअ) के दौरान जीएफडी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गोवा, इन राज्यों में जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि आर्थिक मंदी के कारण राजस्व में कमी आने और व्ययों में वृद्धि करने की आवश्यकता के बावज़ूद केरल, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य 2009-10 के दौरान अपने राजकोषीय घाटे को बारहवें वित्त आयोग के द्वारा विनिर्दिष्ट जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रखने में सफल रहे।

4.12 2008-09 (संअ) में, गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) दर्ज किया। तथापि, इन तीन राज्यों अर्थात केरल, पंजाब और राजस्थान में पीआरएस और आरडी का सह-अस्तित्व संकेत देता है कि 2008-09 (संअ) के दौरान इन राज्यों में ब्याज भुगतान दायित्वों के वित्तपोषण में पीआरएस पर्याप्त नहीं होगा। 2008-09 (संअ) में पंजाब, केरल और राजस्थान में क्रमशः 21.5 प्रतिशत, 22.6 प्रतिशत और 95.5 प्रतिशत ब्याज भुगतानों की वित्तपूर्ति पीआरएस से हुई (चार्ट IV.3)।

4.13 2005-08 (औसत) में 10 राज्यों की तुलना में 2008-09 (संअ) में 17 गैर विशेष श्रेणीवाले राज्यों में से, एकमात्र उड़ीसा ने प्राथमिक अधिशेष दर्ज किया। 2008-09 में बिहार ने सर्वोच्च प्राथमिक घाटा दर्ज किया, जो जीएसडीपी का 3.2 प्रतिशत था। इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.4 प्रतिशत) और झारखंड (2.1 प्रतिशत) राज्य आते थे (सारणी IV.1)।

विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.14 विशेष श्रेणी वाले राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इन राज्यों में विकासात्मक प्रयास मुख्य रूप से केंद्र सरकार से प्राप्त अंतरणों पर निर्भर होते हैं। निजी निवेश की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के न्यून स्तर, मूलभूत संरचनाओं के मार्ग में रु कवटें आने और मूलभूत ढांचा के विकास कार्य के लिए पीपीपी की कमी के कारण राज्य सरकार को सरकारी निवेश बड़े पैमाने पर करना होता है। यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि ये सभी राज्य राजस्व अधिशेष वाले राज्य हैं और गैर विशेष श्रेणी

चार्ट IV.3 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) द्वारा ब्याज भुगतान का वित्तपोषण

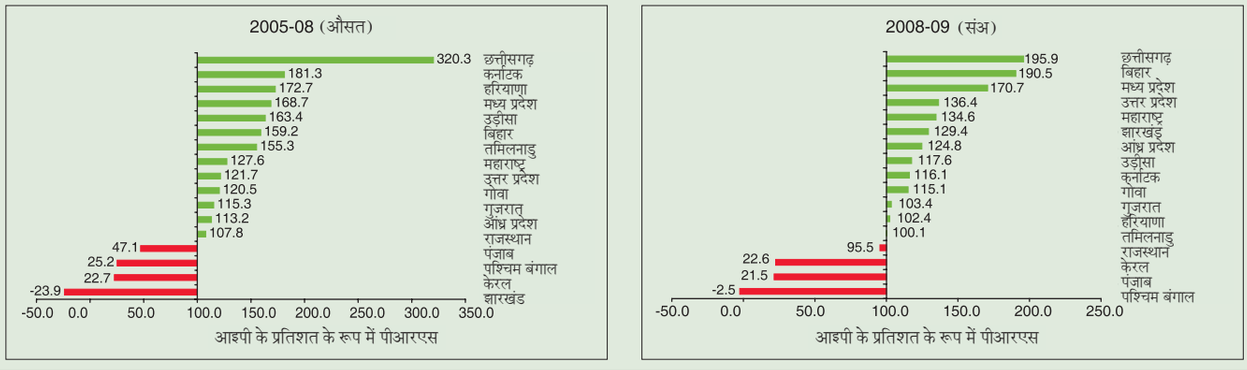

वाले राज्यों की तुलना में इनका जीएफडी अत्यधिक उच्च स्तर पर है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में जो राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वह केंद्र से न्यागमन एवं अंतरण में मिली उच्च राशियों और बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोत्साहन आधारित सुधार प्रक्रिया के कारण है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने राजकोषीय सुधार के मार्ग को संस्थागत बनाने में बहुत सारे उपाय किए हैं। कर संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाना, गारंटियों की सीमा निर्धारित करना, वैट लागू करना और नई पेंशन योजनाएं लाना जैसे उपायों के कारण बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहन मिला है।

4.15 विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अंतर्गत सभी 11 राज्यों ने 2008-09 (संअ) के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। मंदी के बावजूद, 6 राज्यों अर्थात सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा मिजोरम ने 2005-08 (औसत) की तुलना में राजस्व अधिशेष में वृद्धि दर्ज की है। सिक्किम ने 2008-09 (संअ) के दौरान सर्वोच्च राजस्व अधिशेष दर्ज किया है जो जीएसडीपी का 22.1 प्रतिशत है तथा इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (18.6 प्रतिशत), मणिपुर (18.4 प्रतिशत) और जम्मू और कश्मीर (9.7 प्रतिशत) आते हैं। अन्य विशेष श्रेणी वाले राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड, असम और हिमाचल प्रदेश हैं जो अभी भी राजस्व अधिशेष की स्थिति में हैं, भले ही 2005-08 (औसत) की तुलना में उनका स्तर न्यून है (सारणी IV.1 और चार्ट IV.4)।

4.16 2009-10 के दौरान, 3 विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने बजट में राजस्व घाटे दर्शाए हैं। इन राज्यों में, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे का बजट अरुणाचल प्रदेश में सर्वोच्च (7.6 प्रतिशत) था, जिसके बाद असम (7.3 प्रतिशत) और उत्तराखंड (0.5 प्रतिशत) आते थे।

4.17 राजस्व लेखा सुधार के संदर्भ में पाए गए सुधारों के विपरीत जीएफडी में सुधार के मामले में विशेष श्रेणी वाले राज्य गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों से बहुत पीछे थे। 2008-09 (संअ) में केवल मेघालय और असम को छोड़कर शेष सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने 3 प्रतिशत से अधिक जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (चार्ट IV.5)। 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों के बीच, 8 राज्यों ने 2005-08 (औसत) में रही अपनी स्थिति की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान उच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। अरुणाचल प्रदेश ने 24.5 प्रतिशत का सर्वोच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद सिक्किम (12.9 प्रतिशत) और मिजोरम (10.1 प्रतिशत) का स्थान था। ये सभी राज्य, असम और मेघालय को छोड़कर, अभी भी बारहवें वित्त आयोग के 3 प्रतिशत जीएफडी-जीएसडीपी लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। तथापि, बड़े राजस्व अधिशेष और बड़े जीएफडी के सह-अस्तित्व से संकेत मिलता है कि उधारियों को पूंजीगत परिव्यय में लगा दिया जाता है (सारणी IV.1)। 2009-10 (बअ) के दौरान, सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों में घाटे के संकेतकों के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है।

4.18 2008-09 (संअ) में, सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, प्राथमिक राजस्व अधिशेष इतना पर्याप्त है कि वह ब्याज भुगतानों

चार्ट IV.4 : विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)

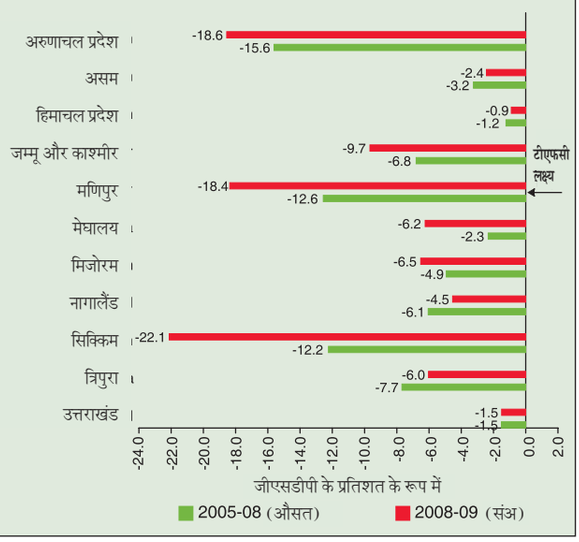

चार्ट IV.5: विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

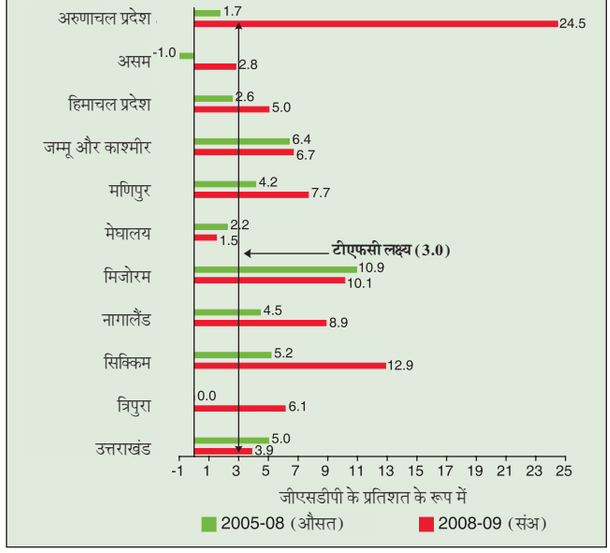

चार्ट IV.6: विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष (पीआरएस) द्वारा ब्याज भुगतान का वित्तपोषण

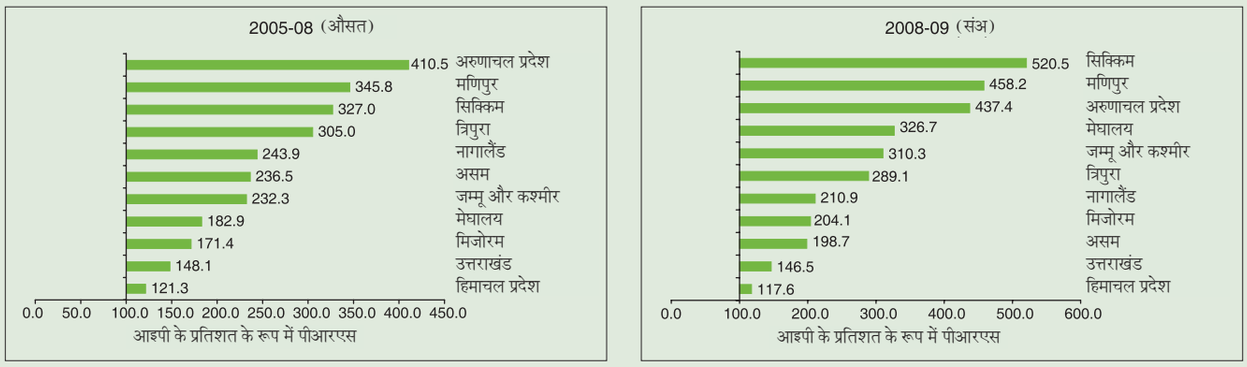

को पूरा कर सकता है (चार्ट IV.6)। तथापि, 2005-08 (औसत) में चार राज्यों की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान नौ राज्यों ने प्राथमिक घाटा दर्ज किया (सारणी IV.1)।

3. राज्य सरकारों का राजस्व लेखा

4.19 राज्य सरकारों की कराधान नीति के केंद्रबिंदु में बेहतर कर अनुपालन तथा उच्च पारदर्शिता के लिए कर संरचना को सुसंगत करना और बेहतर कर प्रशासन को रखा गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आइटी की सहायता से और प्रवर्तन उपायों को मजबूत बनाकर कर प्रशासन को सरल करने, युक्तिसंगत करने और उनके आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयास किए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा कतिपय कराधान शक्तियों का वित्तीय प्रत्यायोजन स्थानीय निकायों को किए जाने से संसाधन जुटाने में बेहतरी आई है। कई राज्यों ने वैट, उत्पाद और अन्य कर तथा करेतर स्रोतों से होने वाली वसूलियों में और वृद्धि करने के लिए करों को युक्तिसंगत करने, बेहतर कर अनुपालन करने तथा प्रवर्तन मशीनरी को सशक्त करना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया है। इस अध्याय में राजस्व लेखा सुधार की प्रक्रिया को समझने के लिए प्राप्तियों में वृद्धि और व्यय प्रबंधन उपायों दोनों का मूल्यांकन करने पर फोकस किया गया है। राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित विभिन्न संकेतकों को सारणी IV.2 में प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि राज्य सरकारों के राजस्व व्यय से संबंधित संकेतकों को सारणी IV.3 में दर्शाया गया है।

गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.20 राज्य सरकारों की कराधान नीति में आम तौर पर उद्देश्य यह है कि कुशल और प्रभावी कर प्रशासन पर बल देते हुए कराधान के औसत स्तरों को कम किया जाए। राजकोषीय सुधार के लिए वांछित मार्ग राजकोषीय सशक्तीकरण से होकर, अर्थात बजट में राजस्व प्रवाहों के दायरे और आकार को विस्तृत करके, गुजरता है। आम तौर पर राजस्व में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों की नीति में कर प्रशासन में सुधार लाना, राजस्व में वृद्धि को सुकर बनाना, लेनदेन लागत को न्यूनतम करना और कर संरचना को युक्तिसंगत करना सम्मिलित है। इसके केंद्रबिंदु में विद्यमान करों तथा करेतर वसूली प्रक्रियाओं को कारगर और सशक्त करना तथा राजस्व स्राव को रोकना सम्मिलित है।

राजस्व प्राप्तियां

4.21 सभी गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां, केवल कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर, जीएसडीपी के रूप में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में बढ़ गईं। तथापि, अधिकांश राज्यों में यह वृद्धि उनके अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि केंद्र से प्राप्त अंतरणों के कारण थी। केवल पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा अपवाद है, जहां यह वृद्धि खुद राज्य के प्रयासों से अधिक हुई है तथा केंद्र से प्राप्त अंतरणों के कारण कम। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अपनी राजस्व वसूलियों (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में कमी आई है। झारखंड ने 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान अपने राजस्व प्रयासों में सर्वोच्च सुधार दर्ज किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं (सारणी IV.2 और चार्ट IV.7)।

सारणी IV.2: राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)				2008-09 (संअ)			
	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	16.2	8.7	2.2	5.2	18.8	9.6	2.3	6.9
2. बिहार	23.4	4.3	0.5	18.5	31.6	5.5	0.4	25.7
3. छत्तीसगढ़	19.2	8.3	2.6	8.2	20.8	7.9	2.5	10.5
4. गोवा	16.9	8.2	5.9	2.7	19.3	8.8	6.4	4.1
5. गुजरात	11.7	7.2	1.7	2.9	11.0	6.7	1.2	3.1
6. हरियाणा	13.2	8.2	3.1	2.0	11.7	7.7	2.1	2.0
7. झारखंड	15.9	5.1	2.4	8.4	21.0	6.6	2.9	11.5
8. कर्नाटक	17.5	10.9	1.9	4.8	16.0	10.7	0.7	4.5
9. केरल	12.7	8.2	0.7	3.7	13.7	8.7	0.7	4.3
10. मध्य प्रदेश	19.6	8.1	1.9	9.6	22.5	9.0	2.0	11.5
11. महाराष्ट्र	12.2	7.9	1.9	2.5	11.9	7.2	1.5	3.2
12. उड़ीसा	19.3	6.4	2.4	10.4	21.9	6.3	2.1	13.5
13. पंजाब	14.5	7.6	3.7	3.1	14.9	7.5	4.4	3.0
14. राजस्थान	17.2	7.8	2.3	7.1	17.9	7.9	2.0	8.0
15. तमिलनाडु	14.9	9.9	1.1	3.9	15.9	9.9	1.6	4.4
16. उत्तर प्रदेश	18.6	7.2	1.6	9.8	21.9	7.5	2.1	12.2
17. पश्चिम बंगाल	10.0	4.4	0.5	5.1	11.9	4.7	1.6	5.6
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	73.7	2.4	11.2	60.2	88.8	2.4	7.3	79.1
2. असम	21.3	5.3	2.8	13.2	30.1	5.2	2.9	22.0
3. हिमाचल प्रदेश	27.1	5.9	4.3	16.9	27.2	6.2	3.9	17.1
4. जम्मू और कश्मीर	42.8	6.7	2.6	33.5	45.4	7.7	3.2	34.5
5. मणिपुर	54.2	2.2	2.6	49.4	64.3	2.6	3.2	58.5
6. मेघालय	30.2	4.2	2.5	23.5	44.2	4.6	2.4	37.2
7. मिजोरम	62.7	2.2	4.3	56.3	73.8	2.6	4.4	66.8
8. नागालैंड	41.7	1.9	1.6	38.2	42.5	1.8	2.0	38.6
9. सिक्किम	108.1	8.3	55.5	44.3	111.1	6.0	44.4	60.7
10. त्रिपुरा	32.5	3.3	0.9	28.4	34.1	3.7	1.1	29.3
11. उत्तराखंड	22.7	7.7	2.2	12.9	21.8	7.6	1.6	12.6
सभी राज्य#	**12.2**	**5.8**	**1.4**	**5.0**	**13.2**	**5.9**	**1.4**	**5.9**
ज्ञापन मद:								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.1	8.2	1.3	0.6	9.6	7.5	1.3	0.8
2. पुदुचेरी	27.2	7.9	7.9	11.4	25.8	7.7	6.2	11.9

औ: औसत। संअ: संशोधित अनुमान।
आरआर: राजस्व प्राप्तियां ओटीआर: स्वकर राजस्व।
ओएनटीआर : स्वकरेतर राजस्व सीटी : चालू अंतरण।
जीएसडीपी : सकल राज्य देशी उत्पाद।
: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़ पर आधारित।

4.22 बिहार ने 2008-09 (संअ) के दौरान 31.6 प्रतिशत का सर्वोच्च राजस्व प्राप्ति (आरआर)-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त किया है जो मुख्यतया सर्वोच्च चालू अंतरणों (सीटी)-जीएसडीपी अनुपात द्वारा समर्थित था। बिहार के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश (22.5 प्रतिशत), उड़ीसा (21.9 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (21.9 प्रतिशत), झारखंड (21.0 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (20.8 प्रतिशत) आते हैं। इन सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों में सुधार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशदान केंद्रीय अंतरणों का था (सारणी IV.2 और विवरण 22,23 और 25)।

सारणी IV.3: राज्य सरकारों का राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औ)					2008-09 (संअ)				
	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	15.8	10.0	5.7	2.7	1.5	18.2	12.9	5.2	2.2	1.5
2. बिहार	21.2	12.0	9.1	3.7	2.7	28.6	18.7	9.9	3.3	3.0
3. छत्तीसगढ़	15.3	10.1	4.4	1.8	1.0	19.5	14.0	4.9	1.4	1.1
4. गोवा	16.3	11.1	5.2	2.8	1.0	18.9	12.9	6.0	2.8	1.4
5. गुजरात	11.3	6.5	4.8	2.7	1.0	10.9	7.0	3.8	2.2	0.8
6. हरियाणा	12.0	7.9	3.8	1.7	0.9	11.7	8.3	3.3	1.3	0.9
7. झारखंड	18.2	11.9	6.2	1.8	1.2	20.2	12.9	7.2	2.8	1.5
8. कर्नाटक	15.9	10.1	5.1	2.0	1.3	15.7	9.6	5.2	1.8	1.6
9. केरल	14.9	6.9	7.1	2.9	2.5	15.8	7.5	7.1	2.6	2.6
10. मध्य प्रदेश	17.6	10.0	6.5	3.0	1.4	20.5	12.4	7.0	2.9	1.7
11. महाराष्ट्र	11.6	6.8	4.6	2.2	0.7	11.3	7.2	3.9	1.8	0.7
12. उड़ीसा	16.9	8.8	7.8	3.7	1.7	21.3	13.3	7.7	3.5	2.3
13. पंजाब	16.2	6.8	9.2	3.4	1.6	17.4	7.7	9.1	3.2	1.6
14. राजस्थान	16.9	10.1	6.7	3.8	1.4	18.1	11.0	7.0	3.3	2.0
15. तमिलनाडु	13.8	7.5	5.4	2.0	1.9	15.9	9.1	5.6	1.7	2.3
16. उत्तर प्रदेश	17.9	9.3	7.7	3.3	1.6	20.8	12.2	7.7	2.9	1.7
17. पश्चिम बंगाल	13.0	6.2	6.7	4.0	1.4	15.5	9.3	6.1	3.6	1.3
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	58.1	41.4	16.7	5.0	2.6	70.2	50.5	19.7	5.5	3.2
2. असम	18.1	11.1	7.0	2.4	1.8	27.6	16.1	9.2	2.5	2.0
3. हिमाचल प्रदेश	25.9	14.8	11.1	5.7	2.9	26.3	15.4	10.9	5.1	3.3
4. जम्मू और कश्मीर	36.0	21.0	15.0	5.1	3.2	35.8	20.4	15.4	4.6	3.3
5. मणिपुर	41.7	26.0	15.6	5.1	3.8	45.9	27.8	18.1	5.1	4.1
6. मेघालय	27.8	17.8	10.1	2.8	1.6	38.0	27.3	10.7	2.8	1.5
7. मिजोरम	57.8	37.8	20.0	6.9	2.9	67.2	45.3	21.9	6.3	2.9
8. नागालैंड	35.6	19.3	16.4	4.2	3.3	37.9	20.6	17.3	4.1	3.4
9. सिक्किम	95.9	32.1	63.8	5.4	2.3	89.0	37.9	51.1	5.3	2.2
10. त्रिपुरा	24.8	12.8	11.5	3.7	2.7	28.0	15.6	11.9	3.2	3.1
11. उत्तराखंड	21.2	12.7	7.7	3.1	1.8	20.3	11.3	8.3	3.2	2.1
सभी राज्य#	**11.8**	**6.7**	**4.8**	**2.2**	**1.1**	**13.0**	**8.0**	**4.7**	**1.9**	**1.2**
ज्ञापन मद:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.4	3.8	2.2	1.7	–	7.4	5.0	2.1	1.5	–
2. पुदुचेरी	27.6	21.1	6.4	2.7	1.4	33.4	26.1	7.2	2.8	1.8

औ: औसत। संअ: संशोधित अनुमान।
आरई: राजस्व व्यय। डीआरई : विकास राजस्व व्यय।
एनडीआरई : गैर विकास राजस्व व्यय। आइपी. ब्याज भुगतान।
पीएन : पेंशन जीएसडीपी :. सकल राज्य देशी उत्पाद।
: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

4.23 कर्नाटक ने 2008-09 (संअ) में 10.7 प्रतिशत का सर्वोच्च स्व-कर राजस्व (ओटीआर)-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त किया, जिसके बाद क्रमशः तमिलनाडु (9.9 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (9.6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (9.0 प्रतिशत) आते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2008-09 (संअ) में गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में पश्चिम बंगाल सबसे नीचे स्थित राज्यों में एक (4.7 प्रतिशत) रहा, जिसके बाद क्रमशः बिहार (5.5 प्रतिशत), उड़ीसा (6.3 प्रतिशत), झारखंड (6.6 प्रतिशत) और गुजरात (6.7

चार्ट IV.7: 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में स्व-राजस्व (ओआर) और केंद्रीय अंतरणों (सीटी) में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य

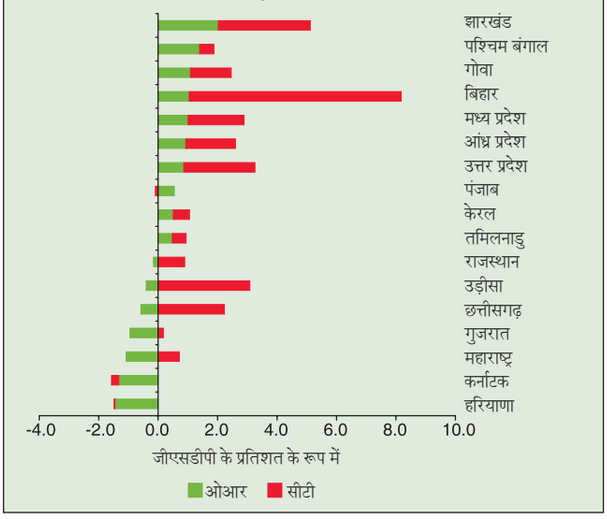

प्रतिशत) थे। ये पांचों राज्य अभी भी बारहवें वित्त आयोग के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात के 6.8 प्रतिशत के लक्ष्य से पीछे ही हैं (चार्ट IV.8, सारणी IV.2 और विवरण 18 और 19)। बिहार जैसे राज्य सरकारों को अपना ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे राज्यों का स्तर बारहवें वित्त आयोग के 6.8 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत पीछे है।

4.24 घाटे के संकेतकों को कम करने में गोवा (6.4 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) और झारखंड (2.9 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) राज्यों में स्व-करेतर राजस्व की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कुछ राज्यों जैसे बिहार(0.4 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी), कर्नाटक (0.7 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी), केरल (0.7 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) और गुजरात (1.2 प्रतिशत ओएनटीआर-जीएसडीपी) का स्व-करेतर राजस्व प्रयासों का कार्यनिष्पादन निराशाजनक रहा और ये चारों राज्य बारहवें वित्त आयोग के 1.4 प्रतिशत के स्व-करेतर राजस्व (ओएनटीआर)-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य से पीछे हैं (चार्ट IV.9, सारणी IV.2 और विवरण 20 और 21)। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय बहुत अधिक है परंतु इन सेवाओं से होनेवाली वसूली नगण्य है। यह मुख्यतया आम लोगों के लिए उपलब्ध करायी गयी आर्थिक और सामाजिक सेवाओं से कम लागत वसूली, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की कम लाभप्रदता, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्यों से कम ब्याज वसूली किए जाने के कारण है।

4.25 हाल के वर्षों में राज्यों की अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि और कर प्रशासन में सुधार के कारण कर वसूलियों में वृद्धि हुई है। तथापि, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के प्रभाव को देखते हुए पहले जैसी कर वसूलियां संभवतः 2009-10 के दौरान प्राप्त न की जा सकें।

4.26 राज्यस्तरीय वैट का अपनाया जाना राज्य सरकारों द्वारा किए गए अब तक के कर सुधारों में सबसे बड़ा सुधार है। सरकार की मंशा है कि वह न केवल नई सेवाओं को कर के दायरे में लाकर

चार्ट IV.8: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के स्व कर राजस्व

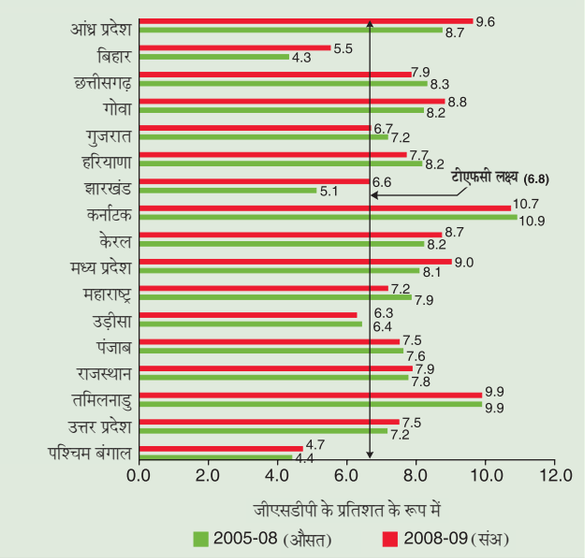

चार्ट IV.9: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के स्व-करेतर राजस्व

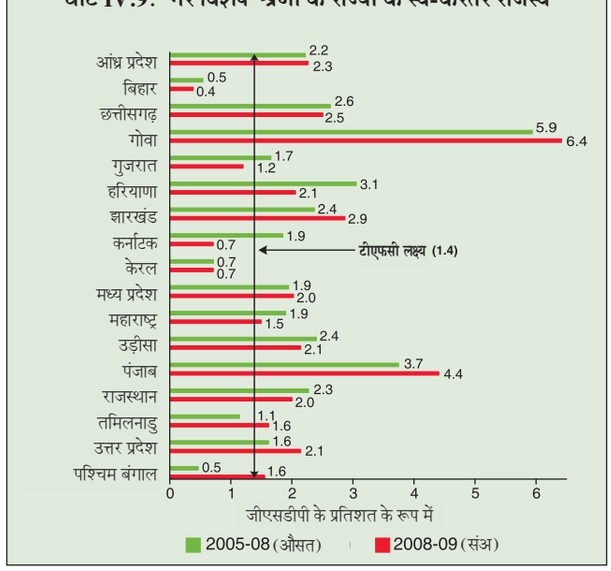

बल्कि कर और करेतर राजस्व की दरें बढ़ाकर कराधान के दायरे का विस्तार करे। दीर्घावधि में, इससे राज्य वित्त को आगे चलकर लाभ मिलेंगे। राज्यों के कर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैट है, जो उनके कुल स्व-कर प्राप्तियों में लगभग आधे का अंशदान करता है। 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, आर्थिक मंदी के होते हुए भी, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर, सभी गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों ने वैट वसूलियों में वृद्धि दर्ज की है (चार्ट IV.10)। 2008-09 (संअ) में आंध्र प्रदेश ने 6.1 प्रतिशत का सर्वोच्च वैट- जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद क्रमशः केरल (5.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (5.7 प्रतिशत) और कर्नाटक (5.5 प्रतिशत) का स्थान है। राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण कर राजस्व हैं - राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा मोटर वाहन कर (विवरण 49)।

4.27 वृद्धि पर आर्थिक मंदी का प्रभाव 2008-09 केउत्तरार्ध में ही पता चला और इसका संपूर्ण प्रभाव 2009-10 में परिलक्षित होगा। विशेष रूप से, वैट और स्टॉम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के तहत वसूलियों की गति हाल के वर्षों में हुई वसूलियों की तुलना में मंद रहने की संभावना है।

राजस्व व्यय

4.28 राजस्व व्यय के संबंध में राज्य सरकारों की नीति सामाजिक क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय बढ़ाने के लिए गैर विकासात्मक व्यय, अधिकांशतः प्रशासनिक सेवाओं और ऋण सेवा सबंधी व्यय, को नियंत्रण में रखना है।

4.29 गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों में जीएसडीपी के रूप में उनके कुल राजस्व व्यय में वृद्धि दर्ज हुई है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में अधिकांश राज्यों में कुल राजस्व व्यय की वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से विकासात्मक राजस्व व्यय में हुई वृद्धि रही है। आठ राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, केरल और पंजाब में गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान कमी आई, बावजूद इसके कि छठे वेतन आयोग/ राज्यों के खुद के वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी से दबाव बढ़ते जा रहे थे (सारणी IV.3, चार्ट IV.11 और विवरण 12 और 13)।

4.30 2008-09 (संअ) में बिहार, जिसका 18.7 प्रतिशत का सर्वोच्च विकासात्मक राजस्व व्यय (डीआरई)-जीएसडीपी अनुपात और 9.9 प्रतिशत का सर्वोच्च गैर विकासात्मक राजस्व व्यय (एनडीआरई)-जीएसडीपी अनुपात था, ने 28.6 प्रतिशत का सर्वोच्च संशोधित अनुमान (संअ)-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। उड़ीसा ने 21.3 प्रतिशत का द्वितीय सर्वोच्च संअ-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (20.8 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (20.5 प्रतिशत) का स्थान था। डीआरई-जीएसडीपी अनुपात बिहार

चार्ट IV.10 : अवधि (2007-08 से 2009-10) के दौरान गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्ययोजित कर

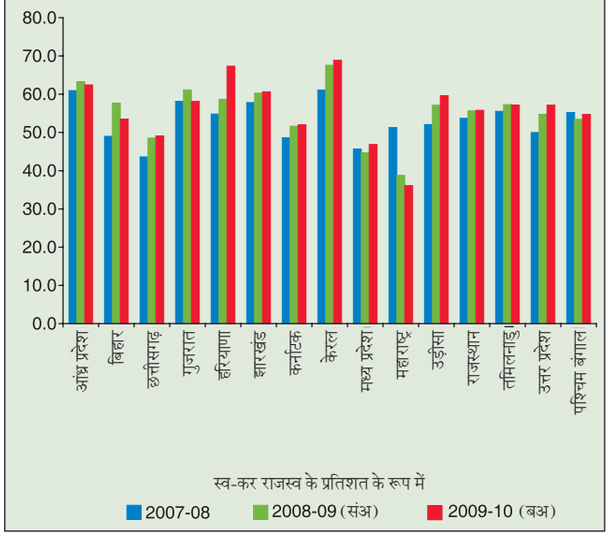

चार्ट IV.11 : 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में विकासात्मक और विकासेतर राजस्व व्यय में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य

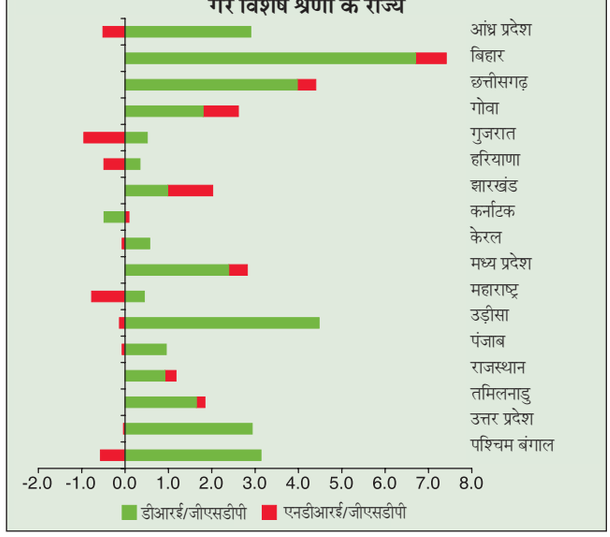

(18.7 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (14.0 प्रतिशत), उड़ीसा (13.3 प्रतिशत) और झारखंड (12.9 प्रतिशत) में तुलनात्मक रूप से उच्च पाए गए। 2008-09 (संअ) में हरियाणा ने 3.3 प्रतिशत का न्यूनतम एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। गुजरात (3.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (3.9 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (4.9 प्रतिशत) ने भी 2008-09 (संअ) के दौरान तुलनात्मक रूप से न्यूनतर एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात दर्शाया। छठे केंद्रीय वेतन आयोग/ राज्यों के खुद के वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सभी राज्यों ने, पश्चिम बंगाल और गुजरात को छोड़कर, 2008-09 के संशोधित अनुमानों में पेंशन राशियों में वृद्धि दर्ज की। बिहार ने जीएसडीपी की तुलना में पेंशन में सर्वोच्च वृद्धि (3.0 प्रतिशत) दर्ज की, जिसके बाद केरल (2.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (2.3 प्रतिशत) का स्थान था।

4.31 छठे वेतन आयोग के अवार्ड के परिणामस्वरूप वेतन संशोधनों से राजस्व व्यय क्षेत्र में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन हुए। 2009-10 में राजस्व अधिशेष समाप्त हो चुका था और समेकित स्तर पर सभी राज्य जीडीपी के 0.5 प्रतिशत घाटे में होंगे। राज्य सरकारों के समक्ष तात्कालिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सतत विकास और पूंजीगत कार्य संसाधनों की कमी के कारण विलंबित न हो पाए। तात्कालिक भविष्य में इसके लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने और संभवतः उधारियों पर अधिक निर्भर होने की भी आवश्यकता हो सकती है।

4.32 2008-09 (संअ) में न्यूनतम ब्याज भुगतान अनुपात (आइपी)-जीएसडीपी अनुपात हरियाणा ने (1.3 प्रतिशत) दर्ज किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (1.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (1.7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (1.8 प्रतिशत) का स्थान है (सारणी IV.3)। आइपी-जीएसडीपी अनुपात में, झारखंड को छोड़कर, सभी राज्यों में कमी आई तथा गोवा में यह पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा।

4.33 राज्यों के ब्याज भुगतानों में आई कमी क्रमशः ऋण अदला-बदली (स्वैप) योजना और ऋण समेकन तथा ऋण राहत सुविधा (डीसीआरएफ), जिसकी संस्तुति क्रमशः ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई है, के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि 2008-09 (संअ) में एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों, जो डीसीआरएफ के दायरे से बाहर रखी जाती हैं,पर ब्याज भुगतान का हिस्सा कई राज्यों के कुल ब्याज भुगतान दायित्वों के आधे से अधिक रहा है, यथा, महाराष्ट्र (57.9 प्रतिशत) और गुजरात (55.1 प्रतिशत), तथा अन्य राज्यों में यह हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक था, यथा, पश्चिम बंगाल (49.1 प्रतिशत), गोवा (47.4 प्रतिशत), कर्नाटक (45.4 प्रतिशत), पंजाब (44.7 प्रतिशत), हरियाणा (44.1 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (43.3 प्रतिशत)। इसके अलावा, 2008-09 (संअ) के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उनके कुल ब्याज भुगतान में बाजार ऋणों के लिए ब्याज भुगतान का हिस्सा एक-चौथाई से अधिक था। डीसीआरएफ प्रारंभ किए जाने के बावजूद, केंद्र से ऋण के कारण ब्याज भुगतान पंजाब (0.9 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5.5 प्रतिशत), हरियाणा (7.0 प्रतिशत), गोवा (7.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (8.6 प्रतिशत) जैसे राज्यों की तुलना में उड़ीसा (29.4 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (16.7 प्रतिशत), कर्नाटक (16.3 प्रतिशत), बिहार (16.1 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ में (15.7 प्रतिशत) जैसे राज्यों में काफी अधिक है (चार्ट IV.12 और विवरण 17)। बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्यों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है कि वे सामान्य केंद्रीय सहायता के ऋण भाग का उपयोग करें।

4.34 2008-09 (संअ) के दौरान पश्चिम बंगाल में ब्याज भुगतान ने राजस्व प्राप्ति के 30.3 प्रतिशत का पूर्वक्रय कर लिया, जिसके बाद पंजाब (21.2 प्रतिशत), गुजरात (19.9 प्रतिशत), केरल (19.2 प्रतिशत), राजस्थान (18.2 प्रतिशत), और उड़ीसा (16.1 प्रतिशत) आते थे। गैर विशेष श्रेणी में आनेवाले ये सभी

चार्ट IV.12 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का संयोजन - 2008-09 (संअ)

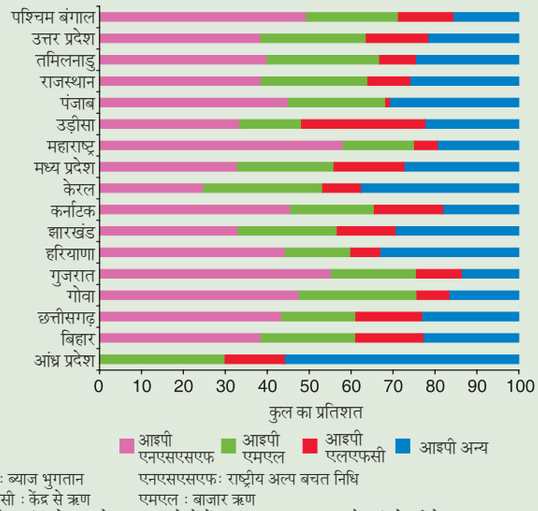

आइपी : ब्याज भुगतान
एलएफसी : केंद्र से ऋण
एनएसएसएफः राष्ट्रीय अल्प बचत निधि
एमएल : बाजार ऋण
टिप्पणी : आंध्र प्रदेश अपने बजट दस्तावेजों में एनएसएसएफ पर ब्याज के आंकड़े नहीं देता।

राज्य 2008-09 (संअ) के दौरान ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्तियों (आइपी-आरआर) के संबंध में बारहवें वित्त आयोग का लक्ष्य(15.0 प्रतिशत) प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उच्च आइपी-आरआर अनुपात राज्य सरकारों के व्यय प्रबंधन को कम लचीला बनाता है क्योंकि संसाधनों के एक बड़े भाग को प्राथमिकप्राप्त क्षेत्र यथा, सामाजिक क्षेत्र व्यय और विकास व्यय के वित्तीयन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता (चार्ट IV.13 और विवरण 36 और 37)।

विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.35 सामान्यतया विशेष श्रेणी वाले राज्यों में बीपीएल परिवारों की अधिकता के कारण करयोग्य संसाधन का आधार संकरा है। इसको ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों ने विद्यमान अधिनियमों और नियमावली के अंतर्गत करदाता आधार का विस्तार करते हुए, मूलभूत संरचनाओं को मजबूत बनाकर, बेहतर अनुपालन सुनिश्चित कर और कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाते हुए कर वसूलियों को बढ़ाने का निर्णय किया है।

राजस्व प्राप्तियां

4.36 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों जैसी प्रवृत्ति की तरह सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों, उत्तराखंड को छोड़कर, में जीएसडीपी के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर्ज हुई। 2008-09 (संअ) के दौरान विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, में उनकी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जो मुख्यतया चालू अंतरण राशियों (सीटी) के कारण थी, न कि उनके अपने प्रयासों के कारण। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान सीटी की सर्वाधिक वृद्धि सिक्किम ने दर्ज की, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम और मणिपुर का स्थान था। 2008-09 (संअ) के दौरान, 2005-08 (औसत) की तुलना में केवल उत्तराखंड में चालू अंतरण (सीटी)-जीएसडीपी अनुपात में कमी आई। इसका निहितार्थ है कि 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान विशेष श्रेणी वाले राज्यों द्वारा उच्चतर राजस्व अधिशेष प्राप्त करने में सीटी की भूमिका प्रमुख रही है। अतः विशेष श्रेणी वाले राज्यों में राजकोषीय स्थिरता मुख्य रूप से केंद्रीय अंतरण राशियों पर निर्भर रही है (चार्ट IV.14 और विवरण 18-23)।

4.37 सिक्किम ने 2008-09 (संअ) में 111.1 प्रतिशत की सर्वोच्च राजस्व प्राप्ति (आरआर)-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (88.8 प्रतिशत), मिजोरम (73.8 प्रतिशत) और मणिपुर (64.3 प्रतिशत) का स्थान है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों में केंद्र से प्राप्त अंतरण और न्यागमन का प्रमुख हिस्सा था। अन्य विशेष श्रेणी वाले राज्यों में पायी गयी प्रवृत्ति के प्रतिकूल, सिक्किम में स्व-करेतर राजस्व, मुख्य रूप से राज्य की लॉटरियां, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा था। सिक्किम का स्व-

चार्ट IV.13: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2008-09 (संअ)

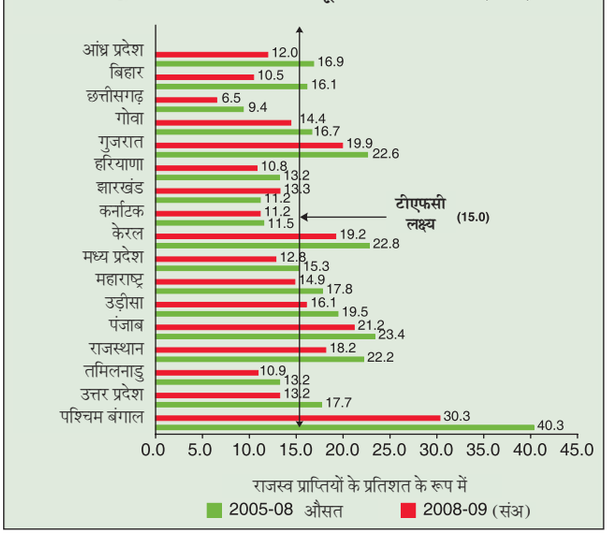

चार्ट IV.14 : 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में स्व राजस्व (ओआर) और केंद्रीय अंतरण (सीटी) में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य

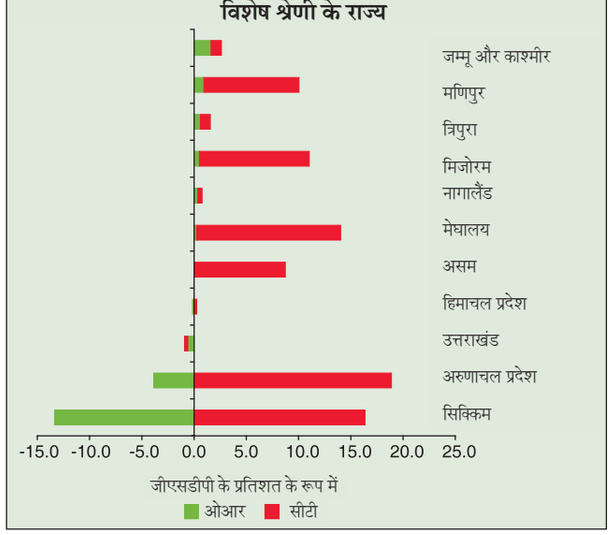

करेतर प्रयास (जीएसडीपी का 44.4 प्रतिशत) विशेष श्रेणी वाले राज्यों में सर्वाधिक था, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (7.3 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 (संअ) के दौरान जम्मू और कश्मीर का स्व-करेतर प्रयास सर्वाधिक (7.7 प्रतिशत) था, जिसके बाद उत्तराखंड (7.6 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (6.2 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.15, 16 और विवरण 19)।

4.38 राज्य सरकारें वैट प्रणाली को ग्राहकों के अनुकूल बनाने की दिशा में उपाय कर रही हैं। साथ ही, कर वंचना को रोकने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए लेखा-परीक्षा और प्रवर्तन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का भी उनका प्रस्ताव है। आर्थिक मंदी के बावजूद, 2007-08 (लेखा) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, वैट-जीएसडीपी अनुपात में सुधार हुआ है। 2008-09 (संअ) के दौरान, जम्मू और कश्मीर (4.4 प्रतिशत) का वैट-जीएसडीपी अनुपात सर्वोच्च था, जिसके बाद असम और उत्तराखंड (प्रत्येक 3.3 प्रतिशत) का स्थान था। कर राजस्व स्रोतों में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में वैट के बाद राज्य उत्पाद शुल्क का महत्वपूर्ण स्थान था (सारणी IV.2 और चार्ट IV.17)।

राजस्व व्यय

4.39 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान 9 विशेष श्रेणी वाले राज्यों अर्थात मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,

चार्ट IV.16 : विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व-करेतर राजस्व*

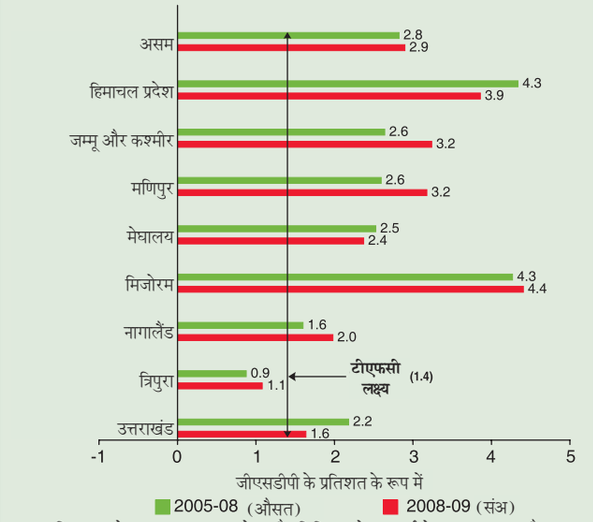

बहुत अधिक मूल्य के कारण अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को इस चार्ट से बाहर रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में जीएसडीपी के रूप में राजस्व व्यय बढ़ा है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड इन दो राज्यों को छोड़कर, जीएसडीपी के रूप में राजस्व व्यय के विकास घटक में वृद्धि हुई है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी की तुलना में विकास राजस्व व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में दर्ज की गई है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम

चार्ट IV.15 : विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व कर राजस्व

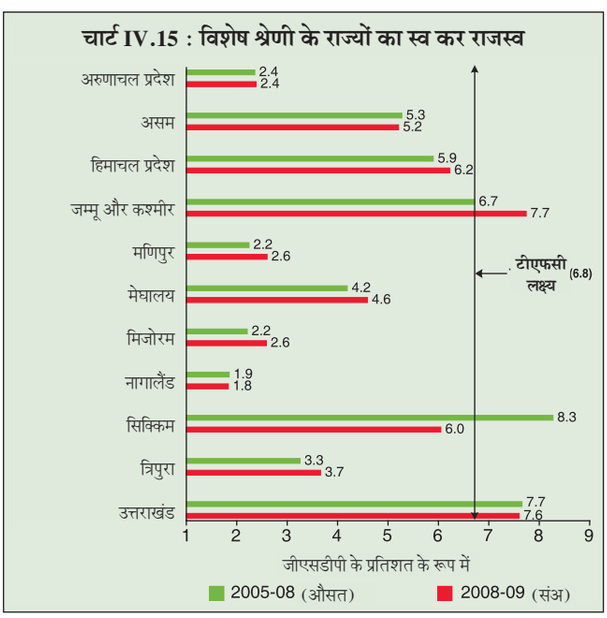

चार्ट IV.17: विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्ययोजित कर

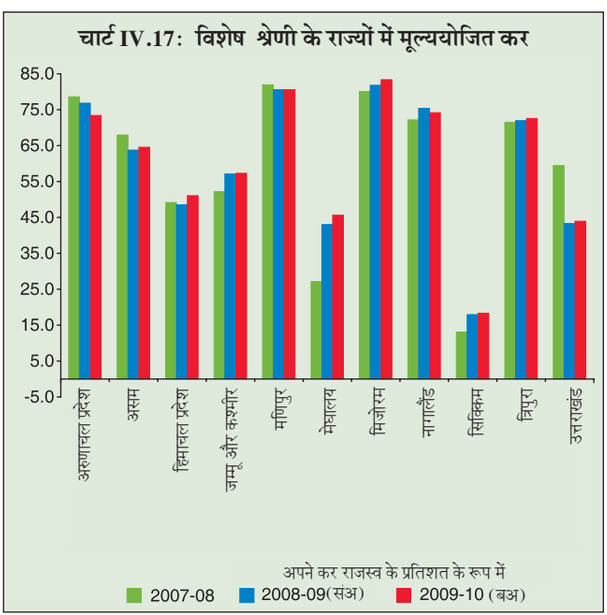

का स्थान है। इसी अवधि के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय के गैर विकासात्मक घटक (एनडीआरई) में 12.7 प्रतिशत की सर्वाधिक कमी सिक्किम में हुई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश (0.2 प्रतिशत की गिरावट) का स्थान है (चार्ट IV.18)। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज की है, जिसके बाद मणिपुर और असम का स्थान है।

4.40 विशेष श्रेणी वाले 7 राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतानों में गिरावट दर्ज हुई है। तथापि, विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर, में इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन में वृद्धि हुई है (सारणी IV.3 और विवरण 12 और 13)।

4.41 सिक्किम का संअ-जीएसडीपी अनुपात सर्वाधिक अर्थात 89.0 प्रतिशत था, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (70.2 प्रतिशत) और मिजोरम (67.2 प्रतिशत) का स्थान था। विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों में उनके कुल राजस्व व्यय में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा विकास राजस्व व्यय का था। अरुणाचल प्रदेश के मामले में विकास राजस्व व्यय 50.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था, जिसके बाद मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम आते थे। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के रूप में 12.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद, 2008-09 (संअ) में 51.1 प्रतिशत के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के साथ सिक्किम आगे था, जिसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते थे।

4.42 2008-09 (संअ) के दौरान विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों, मणिपुर को छोड़कर, में उनके कुल ब्याज भुगतानों में केंद्र से प्राप्त ऋणों पर ब्याज भुगतान का हिस्सा अल्प था। एनएसएसएफ पर ब्याज भुगतान उत्तराखंड के मामले में सर्वाधिक अर्थात 41.1 प्रतिशत था जिसके बाद असम (26.3 प्रतिशत) और त्रिपुरा (22.0 प्रतिशत) का स्थान था। दूसरी ओर नागालैंड के मामले में यह सिर्फ 4.0 प्रतिशत था। नागालैंड का बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान सर्वाधिक अर्थात 53.3 प्रतिशत था, जिसके बाद मिजोरम (51.9 प्रतिशत) और मेघालय (48.5 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.19) ।

4.43 2008-09 (संअ) के दौरान 6.3 प्रतिशत का सर्वाधिक आइपी-जीएसडीपी अनुपात मिजोरम ने दर्ज किया, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (5.5 प्रतिशत) और सिक्किम (5.3 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 (संअ) में सर्वोच्च पेंशन-जीएसडीपी अनुपात मणिपुर, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर ने दर्ज किया, जो क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत था (सारणी IV.3)। बारहवें वित्त आयोग ने यह परिकल्पना की थी कि राज्यों के ब्याज भुगतान को कम करके राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत पर लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले शेष सभी राज्यों ने 2008-09 (संअ) में आइपी-आरआर के संदर्भ में बारहवें वित्त

चार्ट IV.18: 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) में विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य

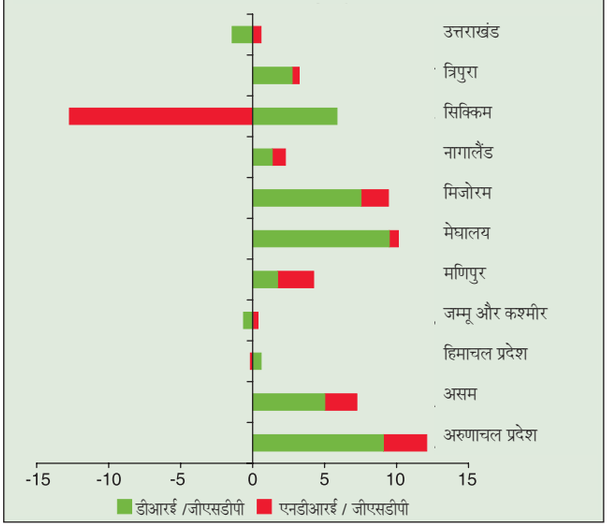

चार्ट IV.19: विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान का संयोजन - 2008-09 (संअ)

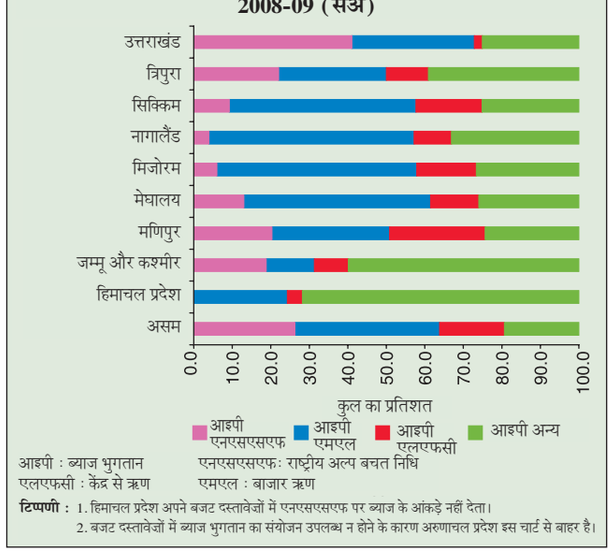

आइपी : ब्याज भुगतान
एलएफसी : केंद्र से ऋण
एनएसएसएफः राष्ट्रीय अल्प बचत निधि
एमएल : बाजार ऋण

टिप्पणी : 1. हिमाचल प्रदेश अपने बजट दस्तावेजों में एनएसएसएफ पर ब्याज के आंकड़े नहीं देता।
2. बजट दस्तावेजों में ब्याज भुगतान का संयोजन उपलब्ध न होने के कारण अरुणाचल प्रदेश इस चार्ट से बाहर है।

चार्ट IV.20: विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतान द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2008-09 (सं.अ.)

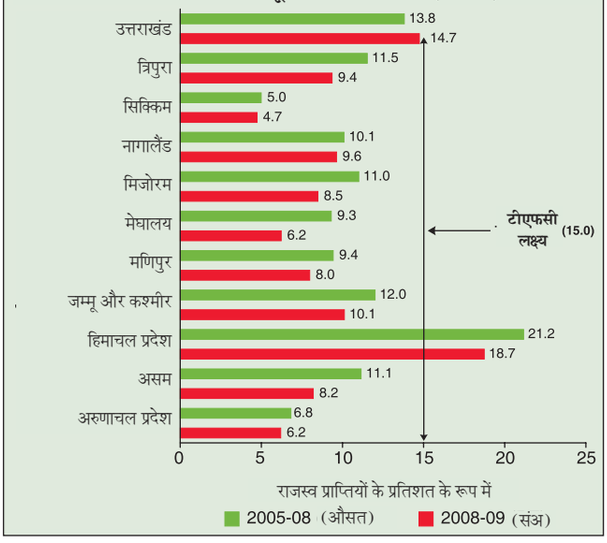

आयोग के लक्ष्य (15.0 प्रतिशत) को प्राप्त कर लिया है। सिक्किम के मामले में आइपी-आरआर अनुपात न्यूनतम (4.7 प्रतिशत) था, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय (प्रत्येक 6.2 प्रतिशत) का स्थान था (चार्ट IV.20 और विवरण 17, 36 और 37)।

4. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

4.44 सार्वजनिक व्यय राज्यों के विकास के लिए सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचना पर सरकार द्वारा किए गए व्यय की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को तीव्रतर करने में सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सार्वजनिक व्यय का आकार, उसकी संरचना और उसकी उत्पादकता महत्वपूर्ण मानक होते हैं। राज्य सरकारों की व्यय प्रबंधन नीतियां व्यय को निगरानीयोग्य, मात्रानिर्धारणीय भौतिक उत्पादनों और परिणामों से जोड़ती हैं, जिनमें पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। पर्याप्त निधीयन द्वारा अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने तथा कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों पर कड़ी निगरानी रखने को प्राथमिकता दी जाती है।

4.45 कुछ गुणात्मक व्ययों अर्थात पूंजीगत परिव्यय[7], विकास व्यय[8] और सामाजिक व्यय[9] के विश्लेषण का प्रयास यहां किया गया है। गैर विशेष और विशेष दोनों श्रेणी वाले राज्यों के लिए 2005-08 (औसत) और 2008-09 (संअ) अवधि के लिए इन व्यय श्रेणियों संबंधी आंकड़े सारणी IV.4 में दिए गए हैं।

गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.46 सभी गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों, कर्नाटक को छोड़कर, में 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी के अनुपात के रूप में उनके विकास व्यय में वृद्धि हुई है। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी की तुलना में विकास व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि बिहार ने दर्ज की है, जिसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। 2008-09 (संअ) में बिहार ने 27.9 प्रतिशत का जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय का सर्वोच्च अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (18.9 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (18.4 प्रतिशत) और झारखंड (18.3 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी IV.4, चार्ट IV.21 और विवरण 12)।

4.47 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने जीएसडीपी के प्रति सामाजिक क्षेत्र(एसएसई) व्यय के अनुपात में वृद्धि दर्ज की। बिहार ने जीएसडीपी के प्रति सामाजिक क्षेत्र व्यय के अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का स्थान था। बिहार ने 2008-09 (संअ) में 17.8 प्रतिशत का सर्वोच्च एसएसई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (13.1), और झारखंड (12.9 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी IV.4 और चार्ट IV.22)(विवरण 41, 42, 46 और 47 भी देखें)।

4.48 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने पूंजीगत परिव्यय (सीओ)-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। बिहार ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि

7 पूंजीगत परिव्यय में राज्य सरकारों के विकास और गैर विकास पूंजीगत परिव्यय दोनों ही सम्मिलित हैं।

8 विकास व्यय में राजस्व व्यय के विकास घटक, पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

9 सामाजिक क्षेत्र व्यय में समाज सेवा पर व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य संग्रहण और भंडारण तथा ग्रामीण विकास पर व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

सारणी IV.4: राज्य सरकारों का व्यय पैटर्न

(प्रतिशत)

राज्य	2005-08 (औसत)			2008-09 (संअ)		
	डीईवी/ जीएसडीपी	एसएसई/ जीएसडीपी	सीओ/ जीएसडीपी	डीईवी/ जीएसडीपी	एसएसई/ जीएसडीपी	सीओ/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	14.1	7.0	3.7	17.6	9.9	3.7
2. बिहार	17.2	11.4	4.4	27.9	17.8	8.9
3. छत्तीसगढ़	14.6	9.5	3.8	18.9	13.1	4.3
4. गोवा	14.7	6.6	4.2	16.9	8.2	4.9
5. गुजरात	9.5	5.0	2.8	10.0	5.1	2.9
6. हरियाणा	9.8	4.5	1.9	10.3	5.3	2.0
7. झारखंड	18.3	11.5	4.6	18.3	12.9	5.1
8. कर्नाटक	13.8	7.0	3.7	13.3	7.7	3.5
9. केरल	7.9	5.5	0.7	8.9	6.2	0.9
10. मध्य प्रदेश	15.5	8.4	4.8	17.8	10.6	4.3
11. महाराष्ट्र	9.3	5.4	2.1	10.1	5.5	2.8
12. उड़ीसा	10.8	7.0	1.8	15.9	10.6	2.7
13. पंजाब	8.5	3.7	1.7	10.6	5.7	3.0
14. राजस्थान	13.6	8.5	3.5	14.4	10.1	3.1
15. तमिलनाडु	10.1	6.3	2.1	12.1	7.8	2.6
16. उत्तर प्रदेश	13.6	7.9	4.2	18.4	10.7	6.3
17. पश्चिम बंगाल	7.4	5.1	0.8	10.8	6.1	1.2
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	58.2	25.4	17.3	91.4	32.3	42.4
2. असम	13.4	8.2	2.2	21.3	12.8	5.1
3. हिमाचल प्रदेश	18.5	11.4	3.8	21.2	13.1	5.7
4. जम्मू और कश्मीर	32.5	15.4	13.1	34.3	16.1	16.3
5. मणिपुर	40.0	19.6	15.9	52.9	24.7	26.0
6. मेघालय	22.3	12.8	4.6	34.7	17.7	7.3
7. मिजोरम	53.9	27.2	16.2	62.0	36.9	17.0
8. नागालैंड	28.5	14.4	10.6	32.3	16.1	13.4
9. सिक्किम	48.3	27.3	17.4	69.6	35.1	34.9
10. त्रिपुरा	19.7	12.0	7.7	25.9	15.7	11.9
11. उत्तराखंड	18.8	10.7	6.2	16.6	9.2	5.6
सभी राज्य#	**9.1**	**5.2**	**2.3**	**11.0**	**6.5**	**2.8**
ज्ञापन मद:						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.4	4.5	1.8	9.2	5.7	2.4
2. पुदुचेरी	25.1	11.9	4.3	30.0	14.4	4.3

संअ: संशोधित अनुमान.
डीईवी: विकास व्यय.
एसएसई: सामाजिक क्षेत्र के व्यय.
सीओ: पूंजीगत परिव्यय.
जीएसडीपी: सकल राज्य देशी उत्पाद.
: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित ।

दर्ज की, उसके बाद उसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा का स्थान था। बिहार ने 2008-09 (संअ) के दौरान 8.9 प्रतिशत का सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (6.3 प्रतिशत) और झारखंड (5.1 प्रतिशत) का स्थान था।

चार्ट IV.21: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के विकासात्मक व्यय

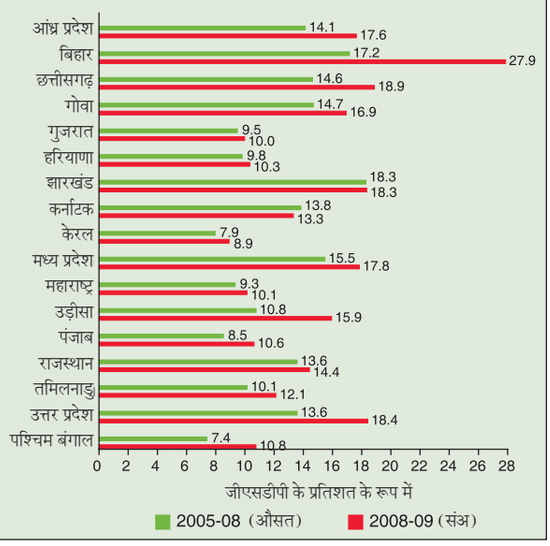

तथापि, 2008-09 (संअ) के दौरान सीओ-जीएसडीपी अनुपात का स्तर केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुत कम था (सारणी IV.4 और चार्ट IV.23)।

विशेष श्रेणी वाले राज्य

4.49 विशेष श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले राज्यों ने पूंजीगत निवेशों में सर्वाधिक व्यय करके व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता

चार्ट IV. 22: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के सामाजिक क्षेत्र व्यय

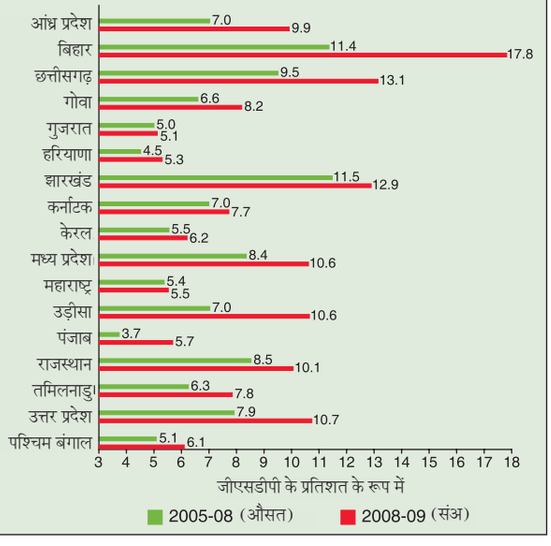

चार्ट IV. 23: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के पूंजीगत परिव्यय

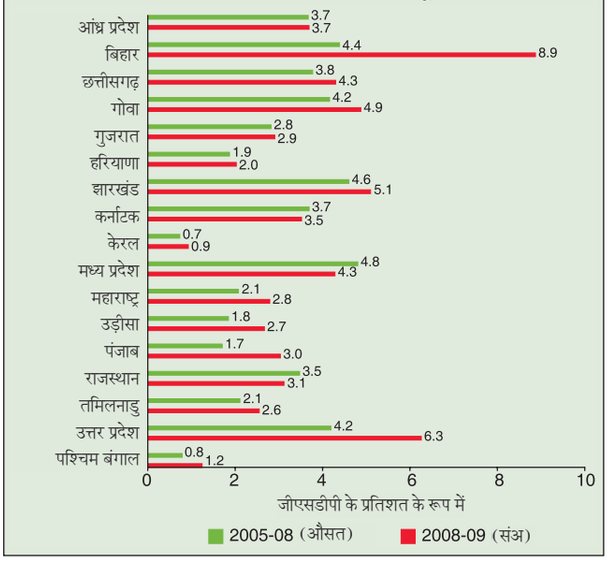

चार्ट IV. 24: विशेष श्रेणी के राज्यों के विकासात्मक व्यय

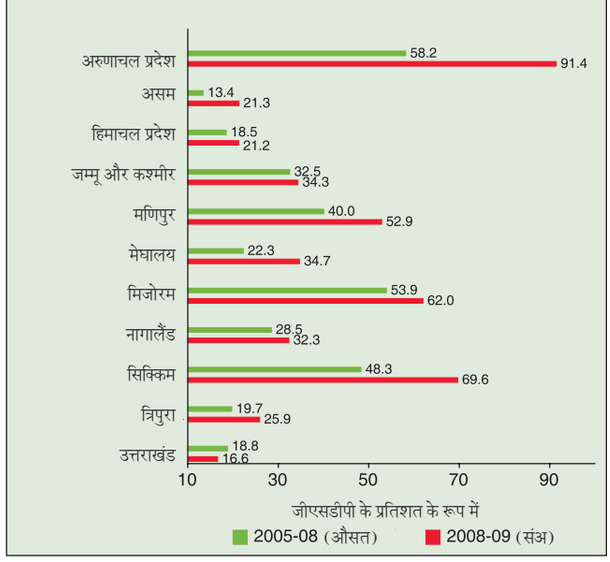

को अधिक महत्व दिया। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय के अनुपात में उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि में जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज की तथा उसके बाद सिक्किम और मणिपुर आते हैं। 2008-09 (संअ) में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने 91.4 प्रतिशत का जीएसडीपी के प्रति विकास व्यय का सर्वोच्च अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद सिक्किम (69.6 प्रतिशत) और मिजोरम (62.0 प्रतिशत) का स्थान है (सारणी IV.4, चार्ट IV.24 और विवरण 12)।

4.50 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में से मिजोरम ने जीएसडीपी के प्रति सामाजिक क्षेत्र व्यय के अनुपात में 36.9 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद सिक्किम (35.1 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (32.3 प्रतिशत) का स्थान आता है (सारणी IV.4, चार्ट IV.25 और विवरण 41, 42, 46 और 47)।

4.51 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले सभी राज्यों ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि में अरुणाचल प्रदेश ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद सिक्किम और मणिपुर आते हैं। 2008-09 (संअ) में विशेष श्रेणी वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने 42.4 प्रतिशत का सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद सिक्किम (34.9 प्रतिशत) और मणिपुर (26.0 प्रतिशत) आते हैं (सारणी IV.4 और चार्ट IV.26)।

चार्ट IV. 25: विशेष श्रेणी के राज्यों का सामाजिक क्षेत्र व्यय

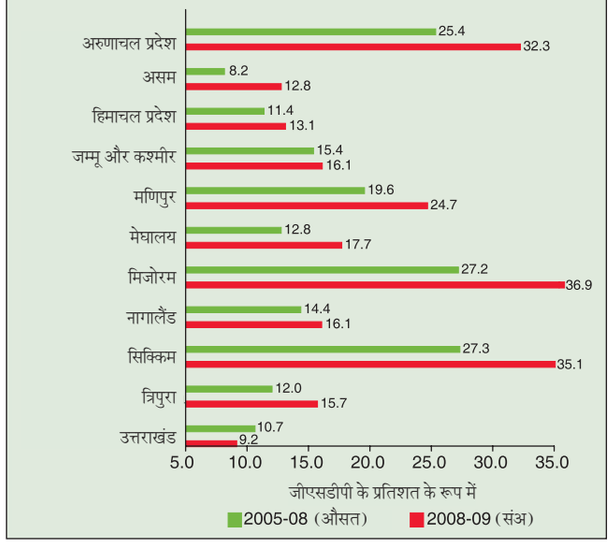

चार्ट IV. 26: विशेष श्रेणी के राज्यों का पूंजीगत परिव्यय

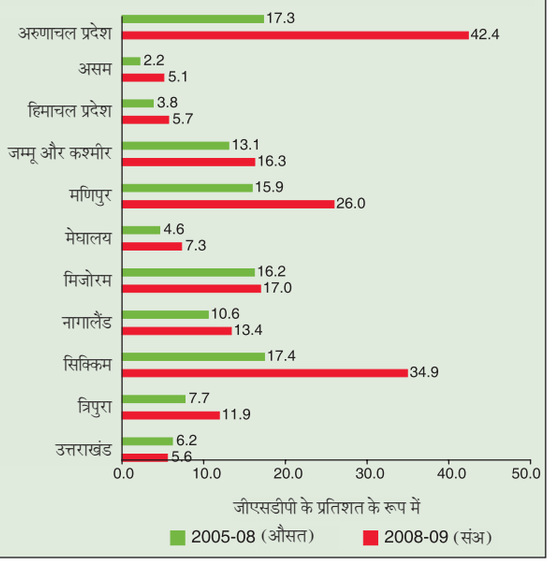

5. निष्कर्ष

4.52 हाल ही में राज्य वित्त में आए महत्वपूर्ण टर्नअराउंड, जैसा कि 2007-08 तक घाटा संकेतकों के सुधारित स्तर में परिलक्षित है, ने राज्य सरकारों को आवश्यक कुशन प्रदान किया, जिससे वे 2008-09 के दौरान मंदी के नकारात्मक प्रभाव को सह सकीं और छठे वेतन आयोग/राज्यों के खुद के वेतन आयोगों से उत्पन्न बढ़े हुए दबावों को भी सह सकीं, जबकि पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय ऐसी स्थिति नहीं थी। राज्यवार स्थिति को देखने से पता चलता है कि 2008-09 (संअ) के दौरान, अधिकांश राज्य (केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर) अपनी अधिशेष स्थिति को बनाए रखने में सक्षम थे, भले ही उनका स्तर कम था। मंदी के बावजूद मेघालय, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों ने जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3.0 प्रतिशत से कम रखने में कामयाबी पाई है।

4.53 तथापि 2009-10 में मंदी का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्योंकि राजस्व अधिशेष की स्थिति वाले राज्यों की संख्या 2008-09 (संअ) के 24 राज्यों की तुलना में तेजी से गिरकर इस वर्ष के दौरान 14 रह गई। इसका मुख्य कारण था - राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय में उच्च वृद्धि का होना। इसके परिणामस्वरूप, सभी राज्यों ने 2009-10 में समेकित स्तर पर जीडीपी के 0.5 प्रतिशत पर राजस्व घाटे का बजट प्रावधान किया था। राजस्व लेखे में कमी के अनुरूप, सभी राज्यों में, केवल छह राज्यों यथा, केरल, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर, जीएफडी में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। 2009-10 (बअ) के दौरान, घाटे के संकेतकों की खराब स्थिति के लिए मुख्यतया गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। 2005-08 (औसत) की तुलना में 2008-09 (संअ) के दौरान, राज्यों के राजस्व लेखे के कुल क्षरण में गैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों का हिस्सा 77.5 प्रतिशत होगा और जीएफडी की वृद्धि में उनका हिस्सा 81.5 प्रतिशत होगा। ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात के रूप में सभी राज्यों के बीच काफी चौड़ी खाई है। 2008-09 (संअ) में कर्नाटक का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात 10.7 प्रतिशत पर सर्वोच्च था, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में यह 4.7 और 5.5 प्रतिशत के न्यूनतर स्तर पर था।